

MR. DEPUTY-SPEAKER : Anything you read out under rule 377 goes to the Ministry concerned and you get a reply.

PROF. K. K. TEWARY : We get a reply. But action is more important.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will convey your views to the Government.

(viii) **Need to take effective measures along Ganga in Bhojpur, Bihar to prevent soil erosion**

PROF. K. K. TEWARY (Buxar) : Under rule 377 I draw the attention of the Government towards heavy erosion of vast areas in District Bhojpur of Bihar by river Ganges. As a result of the constantly changing course of the river, hundreds of villages have been affected and thousands of farmers have lost their houses and lands. Till recently those who were rich and prosperous have been reduced to utter penury and are left with no alternative but to migrate to other areas in search of new sources of their livelihood. Some of those who have decided to stay on and brave this calamity are involved in endless litigations to establish their claims to the lands which have now fallen on the other side of the river and are claimed by the U.P. farmers because the Ganges forms the natural boundary between the two States in this area. During the last decade there have been violent clashes between the farmers from both sides for taking possession of these lands and harvesting the crops sown by the farmers of District Bhojpur, Bihar, although it has been clearly laid down by the Trivedi Commission which was instituted under an Act of Parliament that the ownership of such lands will be decided according to the guidelines determined by the Commission irrespective of the fact whether the claimants belonged to U.P. or Bihar.

I urge upon the Central Government to start massive anti-erosion measures all along the course of the Ganges in Bhojpur in Bihar and effectively intervene in the land disputes between the farmers of the two States.

13.37 hrs.

## ASIATIC SOCIETY BILL

As Passed by Rajya Sabha

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up the legislative business. Shrimati Sheila Kaul was on her legs. Time allotted was one hour. You had started speaking on that day. You can continue your speech.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : As the House is aware, the Asiatic Society was founded on 15th January, 1784 by Sir William Jones, a renowned Indologist and Jurist. The objects of the Society are to organise, initiate and promote researches in humanities and sciences in Asia, to establish, maintain and run research institutions, museums, art galleries etc., to award medals, prizes and scholarships, etc., and to acquire, finance or publish periodicals, books or other literature for the promotion of its objects.

Over the years, the Society has acquired a rich collection of manuscripts, books, coins and art objects. Its library consists of General Section, Sanskrit Section, Islamic Section and Sino-Tibetan and South East Asian Section. Most of the museum collections of the Society have been made over to the Indian Museum, Calcutta. Still the Society has an Asboka Rock Edict, some copper plate inscriptions and a few thousands of coins. The Society has a rich archival collection. For long years, the Society had advised the Government of India on matters of scientific interest and it was the activities of the Society that led to the foundation of various surveys like Survey of India, Geological Survey of India, Zoological Survey of India, Botanical Survey of India and Archaeological Survey of India.

Recently, however, the activities of the Society have declined and the affairs of the Society have deteriorated owing to a variety of administrative and financial reasons. So far as financial affairs of the Society are concerned, its sources of income are limited,

namely, membership fees and rent from buildings and therefore, the Society has to depend mainly on government grants. West Bengal Government has been giving maintenance grant of Rs. 1.10 lakhs per year. The Central Government has also been giving a maintenance grant on a matching basis and in addition giving grants for development. The overall assistance has ranged from Rs. 1 lakh to Rs. 4 lakhs per year during the last few years. All this assistance, however, is not adequate to maintain the present rich holdings of the Society much less to develop them.

It was in this background that the Society approached the Government in April, 1983 stating that the Society is financially in a very bad shape and suggesting that the Government of India should come to its rescue and declare it as an Institution of National Importance. We held discussions with the office-bearers of the Society. The Society passed a resolution in its meeting dated 6th June, 1983 regarding holding negotiations for declaration of the Society as an Institution of National Importance. In August, 1983 the Society also amended its Regulations increasing the number of nominees of the Central Government on the Council of the Society from 1 to 4, setting up of a Standing Finance Committee etc.

The Society in its meeting dated 5th December, 1983, passed a specific resolution requesting the Central Government to declare the Asiatic Society as an Institution of National Importance and to take expeditious steps in this regard.

Consequent on this, Government was able to increase its assistance to the Society from Rs. 3.96 lakhs in the past to Rs. 14 lakhs. In addition, the Government also gave a special grant of Rs. 4 lakhs in connection with the Bi-centenary celebrations held from 11th January to 15th January 1984. The Bi-Centenary Celebrations were inaugurated by the Prime Minister of India who had announced Government's intention to declare the Asiatic Society as an Institution of National Importance while maintaining also its autonomy. I wish to recall that Hon'ble Members of this House had also expressed their concern for improvement in the affairs of the Society. Thus on 24-3-1983,

Shri Indrajit Gupta, M P. had asked a question about Society's administration. On 11.8.1983, Sarvashri R.R. Bhole and A.B. Vajpayee had asked a question regarding action proposed to be taken by the Government to restore the importance to the Society. On the same day, Sarvashri R.P. Das and Suraj Bhan had asked an Unstarred Question regarding a Resolution passed by the Society. I am very glad that I am bringing forward a Bill for this purpose, which I am sure, would receive unanimous support from all the Sections of the House.

The Bill is a short Bill. The constitution of Asiatic Society which is a Society originally registered under the Societies Registration Act, 1860 and deemed to be registered under West Bengal Societies Registration Act, 1961 is not in any way being affected. But a framework is being created so that as an institution of national importance, it receives adequate funding, and utilisation of these funds is properly supervised.

Clause 2 of the Bill is the main clause which declares the Asiatic Society as an institution of national importance. Clause 4 of the Bill provides for grants, loans etc. to be given to the Society for enabling it to discharge efficiently its various functions. Other Clauses deal with various aspects of control and incidental matters.

A perusal of various provisions of the Bill would indicate that an effort has been made to maintain a balance between autonomy and accountability of the Institution. Government powers of control are the minimum necessary and they would be used only in the best interest of the Society and with a view to ensure proper maintenance and development of this rich national heritage.

I have no doubt that the Bill will receive unanimous support from the House.

I move that Asiatic Society Bill, 1984 as passed by Rajya Sabha may be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to declare the institu-

tion known as the Asiatic Society having at present its registered office in Calcutta to be an institution of national importance and to provide for certain matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

I think there is an amendment to the motion for consideration by Shri Mool Chand Daga. Are you moving ?

**SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) :** I beg to move :

"That the Bill to declare the institution known as the Asiatic Society having at present its registered office in Calcutta to be an institution of national importance and to provide for certain matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 7 members, namely :

1. Shri Satish Agarwal
2. Shri Xavier Arakal
3. Smt. Sheila Kaul
4. Shri Sunil Maitra
5. Shri Ram Vilas Paswan
6. Shri A.T. Patil ; and
7. Shri Mool Chand Daga

with instructions to report by the first day of the Monsoon session, 1984.

I should be allowed to speak.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** When you get a chance you can speak. Now, Mr. Giri. The time allowed for this Bill is one hour.

**SHRI SUDHIR GIRI (Contai) :** Sir, I welcome the decision of the Government to declare the Asiatic Society as an institution of national importance (*Interruptions*)

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** Sir, my amendment is to refer this to the Select

Committee. I should be given a chance with regard to my amendment.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** This amendment is for the consideration Motion as I said. I wanted to know whether you are moving. You said that you are moving. You will be given a chance to speak on your amendment also. Anyway, you are not the first speaker.

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** If the Bill is to be referred, then why should I not speak first ? Since my amendment wants the Bill to be referred to the Select Committee, I should be given a chance to speak.

If my motion is thrown out then further discussion may take place.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** You want to speak on this. Alright.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात की अपील करूंगा, वैसे आप किसी बिल को देखते तो होंगे, लेकिन इस बिल के कुछ क्लॉजेज को आप जरूर पढ़ लें। और यह इसलिये कह रहा हूँ कि आपका अनुभव कम नहीं है। इसलिये मेहरबानी करके इस बिल को पढ़ें। और सभी सदस्यों तथा मंत्री महोदय मे कहूंगा कि मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, एक अच्छा कदम है, लेकिन इस बिल को जिसने ड्राफ्ट किया है और जिस ढंग से पेश किया गया है इससे किसको लाभ होगा ? उपाध्यक्ष जी, आप भी कभी-कभी इंटरफीयरेंस कीजिये और अपनी तरफ से आर्डर्स दे दीजिये। यह बिल किस प्रकार से ड्राफ्ट हुआ है ? मंत्री महोदय की भावना की मैं कद्र करता हूँ, वह चाहती हैं कि पुरानी कलाकृतियों और पांडुलिपियों की सुरक्षा हो। लेकिन इसके लिये ?

यह संस्था 1784 में बनी। ठीक 200 साल और 2 महीने बाद सरकार का ध्यान गया। अच्छी बात है। जब इसकी दुर्दशा हो गई तब आपने उसके लिये कदम उठाया। आप एक बात को देखिये कांस्टीट्यूशन में। यह कांस्टीट्यूशन है वेस्ट बंबाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961

के तहत यह संस्था रजिस्टर हुई। सेक्रेटरी लिस्ट आफ कांस्टीट्यूशन के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसको लेने का अधिकार नहीं है। यह स्टेट सबजेक्ट है, सेन्ट्रल सबजेक्ट नहीं है। अगर आप लिस्ट देखेंगे, सेक्रेटरी लिस्ट तो मालूम होगा, स्टेट लिस्ट 7वां शेड्यूल, मैं पढ़ रहा हूँ 32 :

"Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; cooperative societies."

यह सोसाइटी जो रजिस्टर हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 के तहत। पावर नहीं है सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि इसे ले सके या कुछ आक्षेप कर सके। ऐन्टायरली यह सबजेक्ट वेस्ट बंगाल सरकार का है। आप इस बात को ध्यान में रखें।

दूसरी बात है कि कैसे करना चाहते हैं। मंत्री महोदय इनमें क्या चाहती हैं? आप ग्लान (2) पढ़िये। कोई भी मुझे बता दे क्या इस प्रकार की लैगुएज लेकर आयेंगे?

ला डिपार्टमेंट ने इसे एप्रूव किया है तो मैं उसकी बड़ी तारीफ करूंगा।

Whereas the late William Jones founded on the 15th day of January, 1784, an institution in Calcutta which is now known as the Asiatic Society and the objects of which are such as to make the institution one of national importance, it is hereby declared that the said Asiatic Society is an institution of national importance.

What is the necessity of this? There is no necessity. It comes in the statement of objects and reasons.

1984 में एक्ट में ला डिपार्टमेंट क्या हिस्ट्री लिखता है। संकलन क्लोज में कहीं हिस्ट्री लिखी

जाती है, यह मैंने आज देखा है।

मेरे अमेंडमेंट का मतलब यह था कि बहुत शार्ट हो आप इसका नाम रख लीजिये। यह हो सकता है, इनको अंच गई, और इन्होंने अपना अमेंडमेंट दे दिया। मेरा अमेंडमेंट यह है—

The institution known as Asiatic Society in Calcutta is hereby declared as an institution of national importance.

लेकिन आपने हिस्ट्री लिख दी। आखिर आप इसका फंक्शनिंग देखिये। आपने प्लानिंग बोर्ड बनाया। प्लानिंग बोर्ड क्या करेगा—

What is the function of Planning Board?—To advise the Central Government.

'For the purpose of advising it with respect to the Planning and implementation of the developmental programmes of the Society and other matters concerning the society, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be called the Planning Board.' 'The Board shall consist of a Chairman and such other members as may be appointed by the Central Government.' What is the qualification for Chairman and Members? Number unspecified. Period, not specified. Powers unlimited.

यह प्लानिंग बोर्ड बनेगा या नहीं, लेकिन इन्होंने बना दिया।

यह क्या आपने प्रोवीजो दिया है, इसमें क्लोज देखिये।

यह लिमिट लैस है, कोई नहीं कह सकता कितना होगा।

अब प्लानिंग बोर्ड से काम नहीं चला तो क्लोज 9 देखिये—

There is already a society functioning; it is a registered society; You have provided Planning Board. After Planning Board,

comes this provision :

The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute as many committees, as and when it considers it necessary, consisting of such number of persons as it thinks fit to appoint thereto and assign to each such committees all or any of the following duties."

The Government will constitute as many Committees as it deems fit. How many members ? As they think fit. Is it desirable to give powers to Government like this ? The Bill should be specific.

Clause 9 says :

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute as many Committees, as and when it considers it necessary...."

That means, the Government would do it, as it likes. And then it says :

"...consisting of such number of persons as it thinks fit.

Again, no limit on persons.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your amendment is regarding sending this Bill to a Select Committee. You must convince the House as to why you have demanded this. But, I have not heard you saying anything about that.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : He is giving reasons why it should be referred to a Select Committee.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I want this Bill to be sent to a Select Committee so that it can go into the various points being raised by me.

As I said, the number of the members of the Committees, the qualification of such Members etc. have not been indicated. That means every Tom, Dick and Harry can become a member of the Committee.

Clause 9 (3) says :

"Where the Society does not agree to

undertake any work suggested by any committee referred to in sub-section (1), it shall give to the Central Government its reasons for not so agreeing."

Then, there will be a review Committee. Planning Board is there ; Committees are there, and then a Review Committee is there. Clause 10 says :

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Committee consisting of such number of persons as it think fit to appoint thereto for the purpose of viewing the work done by the Society...."

Again, who will be the members ? How will they review the work ? This is not mentioned. What would be the procedure to be followed etc.

सारा खर्चा प्लानिंग बोर्ड, कमेटीज और रोब्यू कमेटी पर होगा। आडिट आपका ही है। वेस्ट बंगाल सोसायटीज एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वह पूरी जांच कर सकती है। रोब्यू कमेटी बनाने की क्या जरूरत है ?

इस प्रकार की कमेटीज के लिए केवल 41 लाख रुपये दे रहे हैं। यह 41 लाख रुपये इन कमेटीज के खर्चों के लिए दे रहे हैं, कमेटीज के काम के लिए दे रहे हैं या प्लानिंग बोर्ड के लिए दे रहे हैं ? और इससे उसका परपज क्या सर्व होगा, इस पर आप गौर फरमाइए। आपने यहाँ तक कह दिया :

Clause 12 (2) says :

"Any directions issued under this section shall have effect, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in the memorandum or regulations of the Society."

You say that the directions will over-rule the law. If the Government issues a direction, it will over-rule the law. The law is there. But you say, "No ;... by the directions of the Government."

यह किस प्रकार से होगा ?

Any direction can over-rule the law. The direction is not a statutory direction. What kind of direction is it, that it can over-rule the law ?

इसके बाद आपने एक बड़ा क्लोज दिया है।

Now clause 14 says :

"The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the memorandum or regulations or the West Bengal Societies Registration Act, 1961 or any other law for the time being in force."

यह क्लोज 14 में जो कहा है वह कैसे हो सकता है ? कांस्टीच्यूशन साफ कह रहा है, वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन ऐक्ट साफ कह रहा है कि

They cannot interfere with it.

स्टेट ने जिसके अन्दर कोई ऐक्ट बनाया है उस के अन्दर आप कैसे इन्टरफेयर कर सकते हैं ?

I would request you to read clause 14 again.

मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि यह सारा जो बिल का ड्राफ्टिंग हुआ है वह ठीक नहीं है। इसमें केवल खर्चा होने के सिवाय और कोई बात नहीं दिखती। वह केवल राय देंगे। और आपके पास जहाँ रुपये की कमी है वहाँ आप यह कर रहे हैं। फिर आप देखें :

Every rule will be laid on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now you should come to your amendment.

14 03 hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

SHRI MOOL CHAND DAGA : I quote

from rule 234 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. It says :

"(1) Where a regulation, rule, sub rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority is laid before the House...."

कितने सेक्शंस इस तरह के निकल चुके हैं। मैं इस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ मुझे मालूम है।

All rules and regulations which are framed under any legislation, i.e. for which powers have been delegated, will be laid on the Table of the House.

आपने इसमें क्या किया है

Only rules will be laid.

I now read from the 7th Report of the Sixth Lok Sabha's Committee on Subordinate Legislation. Paragraph 26 says :

"The Committee reiterate their earlier recommendations on the subject and desire that like rules, regulations should also be laid before Parliament...."

I would request you to listen to this.

I am reading from page 10 of the Seventh Report (6th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation. It reads as under :

"The Committee reiterate their earlier recommendations on the subject and desire that like rules, regulations should also be laid before Parliament and there should be a provision to this effect in the relevant statutes. Like wise, there should invariably be a provision in the relevant statutes for publication of regulations to be framed thereunder. With this end in view, the Committee desire the Ministries/Departments of Government of India to examine all Acts delegating power to make regulations,

with which they are administratively concerned, and to incorporate suitable provisions for publication and laying of regulations in those Acts which do not contain such provisions. The Committee desire the Ministry of Law/Department of Parliamentary Affairs to issue necessary instructions to all Ministries/Departments of the Government of India to this effect."

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल की जो मंशा है वह बहुत अच्छी है। आपने 15 लाख डेवलपमेंट के लिए दे दिया है, 21 लाख रुपया इस संस्था को चलाने के लिए भी दे रहे हैं लेकिन इसकी फंडरनिंग के लिए आपने जो प्रावधान रखे हैं वह हमें ठीक नहीं जंचते। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कि आप दस-पांच दिन के लिए ही इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। वहाँ पर मंत्री जी और उनके एक्सपर्ट्स भी बैठ जाएंगे। सेलेक्ट कमेटी छान-बीन करके अपनी रिपोर्ट दे देगी। इससे मैं समझता हूँ कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक संस्था जो दो सौ साल पुरानी है, उसका आप उत्थान करना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके इन बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का थोड़ा सा कष्ट और उठा लीजिए ताकि उस संस्था का वास्तविक रूप में उत्थान हो सके वरना यह बिल रेड-टेपिज्म के चक्कर में फंसकर रह जायेगा। ऐसा लगता है आपने सोसायटीज ऐक्ट का भी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है। आप किसी सोसायटी को इस प्रकार से ओवर-धो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा है, आप सोसायटी डिजाइल कर सकते हैं—मैं समझता हूँ यह सपने की बात है।

अन्त में मैं आपसे अपील करूँगा कि इसमें प्रेसिडेंट का कोई सवाल नहीं है, यदि आप 10-15 दिन के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। सेलेक्ट कमेटी में आपको मालूम हो सकेगा कि किसी ने भी सीरियसली इस बिल पर अपना माइन्ड एप्लाइ नहीं किया है। यह जो वैडली ड्राफ्टेड बिल है वह हमारा पर्यज सब नहीं करेगा। इसलिए मेहरबानी

करके आप इसको एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : I have given a number of amendments to the various clauses, namely, amendments nos. 10 to 20.

The decision of the Central Government to declare the Asiatic Society as the institution of national importance is welcome ; and to implement the decision in practice, they have brought forward this Bill. The Asiatic Society has a very glorious past.

The Society is famous for the so many scientific surveys, conducted by it, for example the trigonometric survey, the zoological survey and the botanical surveys. All these surveys are important in our present-day life and this institution has done good work, in furthering the intention of its founders in conducting all these surveys. Not only this. They also started the Indian Science Congress in 1913 in India. Therefore, it has lot of importance, as well as its historic past.

As far as I know, at present the Society has got about 42,000 manuscripts, of different languages, most probably of all the Indian languages. Even Tibetan and other Asiatic language manuscripts are also to be found in it. There are two lakhs of books, including some periodicals in it. About 24,000 old coins are there and of them about 124 are gold coins. Therefore, this Society is of much importance. There is no doubt about it. The decision of the Government in this regard to declare it an institution of national importance is, therefore, welcome.

But I am only concerned about the autonomy of the institution. If you kindly go through the different provisions of the Bill you will find that the autonomy of the Society is being taken away. Most probably in February this year the Prime Minister participated in the Bi-Centenary celebrations of the Asiatic Society in Calcutta. She declared that the autonomy of the Society would not be disturbed, on any ground. The present hon. Minister for Education also declared that the autonomy would be preser-

ved. But if you go through the provisions laid down in clauses 8, 9, 10 and 13 of the Bill you will find that the autonomy would be taken away. I am concerned about the economy. The reason is that the scholars who were in the Society, who were enumerated by the Society were encouraged by the Society and they could act freely as there was no bureaucratic interference in the affairs of the Society. If bureaucratic interference in the affairs of the Society is permitted, then I think the autonomy of the Society will be taken away, as well as the efficiency and the encouragement given to the scholars will also be lost.

Why I am saying this is, an hon. Member, Shri Daga, pointed out that the West Bengal Government could have taken over the management of the Asiatic Society. But the reason is the West Bengal Government has no financial capability and they requested the Central Government, who have now come forward to render financial assistance to the Society. But in this case I strongly object to formation of the Planning Board and the manner in which the Planning Board would be formed. The Central Government will nominate the Members on the Planning Board and the Planning Board will be entrusted with the task of guiding the Society. It has been laid down in several provisions that if the Society does not agree with the task and work formulated by the Planning Board, then the management of the Society can be taken over by the Central Government. This clearly points out how the autonomy of the Society will be taken away.

There are several societies or institutions of ancient glory, which have preserved thousands of old manuscripts. While the Central Government has agreed to provide financial assistance to the Asiatic Society, I would urge upon them to also provide financial assistance to old institutions like Thanjavur Maharaja's library which has a collection of 75,000 manuscripts, Madras Oriental Library which has also several thousand old manuscripts, and Sapru House and Banaras Sanskrit University which have also preserved such manuscripts. At present there are scientific ways of preserving books and manuscripts. If the Central Government takes suitable steps to preserve those

manuscripts in a scientific way, then that would help the Indian society to a great extent. I, therefore, urge upon the Government to take necessary and immediate steps to preserve these old manuscripts in different languages.

In this connection, I would also point out that the Central Government should make it a point that the Asiatic Society should maintain those high standards which it was maintaining in the past. While the Planning Board, different Committees and the Review Committee will be there, at least the very functioning of the Society should be commensurate with the high standards that it maintained in the past.

I do not plead for the autonomy of the Society so much, because by autonomy I do not mean that the Society would not resort to any discoveries and inventories and still they would squander away money. Therefore, I do not support this type of autonomy. I want that the Society should be allowed to work as freely as they were in the past. And researchers and scholars should be given impetus to resort to humanistic studies.

In conclusion, I would like to point out that the Society should place the men of high calibre, who have special interest in humanistic studies, on the Planning Board because only the bureaucrats will not serve the purpose. Otherwise, there would not be impetus for the researchers and the scholars who would work in the Society.

Lastly, I would request the Government to make available substantial amount of funds to the Society as and when they genuinely require them. I do not want that the Central Government should squander away money but I want that the actual needs of the Society should be felt and in this regard the Society should be consulted by the Central Government while the Planning Board and the different committees are constituted. With this I conclude. Thank you.

भाचार्य मगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, एशियाटिक सोसाइटी विधेयक जो पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यह जो विधेयक



तैयार किया गया है, उसको बड़ी सूझ-बूझ से तैयार किया गया है।

हमारे माननीय डागा जी ने जो बात यहां रखी उससे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने या तो इसको पढ़ा नहीं है, या इसे समझा ही नहीं है। क्योंकि जो नियम बनते हैं, उसमें सभी कुछ आ जाता है। बोर्ड की बात कही, बोर्ड तो अलग से ही बनता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस समय ये नियम बनते हैं और यह निश्चित किया जाता है कि कितनी संख्या में, किसको और कैसे लिया जाए।

दूसरी बात, बंगाल के माननीय सदस्य ने कही। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस संस्था की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बंगाल सरकार ने इसे लेना अपनी शक्ति के बाहर समझा। एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था जो कि दो सौ साल से काम कर रही हो, उसकी यदि अवस्था जीर्ण-शीर्ण हो जाए, उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था न हो तो उसके लिए भारत सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। डागा जी ने इस बात को शायद समझा नहीं, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान यहां दिया है, उसमें इस बात को साफ कहा है कि इस सोसाइटी के जो संचालकगण थे, उन्होंने केन्द्र सरकार से अपील की और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर, यहां से वहां अधिकारी गये। जब कोई भी सोसाइटी स्थापित की जाती है तो चन्द लोग मिलकर उस सोसाइटी के नियम बनाते हैं और नियम बनाकर सोसाइटी एक्ट के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे समर्थ व्यक्ति होते हैं और समर्थ व्यक्तियों ने स्वयं प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से प्रार्थना की कि इसको ले लिया जाए। फिर इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो, यह मेरी समझ में नहीं आता।

यह बिल्कुल साफ है कि जिन्होंने इस संस्था को बनाया, जो इसे चलाते आ रहे थे, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा और उसे भारत सरकार ने स्वीकार किया। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं उसमें रुचि ली।

उन्होंने देखा कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसमें अनुसंधान का, रिसर्च का काम बहुत बढ़िया हो सकता है। इसका एक बहुत बढ़िया पुस्तकालय है, बिल्डिंग है, पुस्तकालय की अल्मारियां हैं, पुस्तकें हैं उन सबका रख-रखाव करना है, जिल्द बंधी का काम होना है, फोटो-स्टेट करानी है, उस सबको देखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया। मैं भी एक बार बहाना गया था, शिक्षा मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य होने के नाते। इस पर इस कमेटी में भी चर्चा हुई थी और उसमें सभी सदस्यों का यह विचार था कि भारत सरकार इसको अपने हाथ में ले और इसको एक अन्तर-राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र बनाया जाए।

यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत सोच-समझकर पेश किया गया है और इसे उचित अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है। इस तरह की बात कहना कि इसे किसी ऐरे-गैरे नत्बू-खैरे ने बनाया है, और यह बात कोई पार्लियामेंट का मेम्बर इस हाउस में करे, यह मेरी समझ के बाहर है। जो शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हैं, वे कोई साधारण अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए जो कमेटी बनेगी, उसमें कोई साग-सब्जी बेचने वाले व्यक्ति नहीं रखे जायेंगे। जो लोग रखे जायेंगे, उनको शिक्षा मंत्रालय देखेगा। जो बोर्ड बनेगा, समिति बनेगी, उसमें जो अनुसंधान करने वाले हैं, विद्वान् लोग हैं, रिसर्च करने वाले हैं, जो साहित्य, कला और इतिहास में रुचि रखते होंगे उन्हीं को इसमें रखा जायेगा। डागा जी ने पहले तो यह आपत्ति उठायी कि समितियां बनायीं गयीं, बोर्ड बनाया गया, फिर वे यही चाहते हैं कि इसे किसी सेलेक्ट समिति को सौंप दिया जाए। यह बिल्कुल साफ है इसके बारे में कमेटी में विचार करके, एशियाटिक सोसाइटी के लोगों ने और भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने मिल करके, कई दिनों के अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद, चर्चा करने के बाद, इस बिल को तैयार किया और इसे यहां पेश किया गया है। मैं उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने वहां पर जाकर स्थिति देखी और इसको अन्तर्राष्ट्रीय

अनुसंधान के लिए बनाने में इच्छा व्यक्त की और भारत सरकार उसके अनुसार कार्य कर रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे संसार भर के लोग वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आ सकेंगे। मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि जो लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं उनको छात्रवृत्ति तो दी जाती है, इसके साथ-साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी उचित प्रकार से की जानी चाहिए। जिससे वे निश्चित होकर रिसर्च कर सकें। इस तरह की व्यवस्था आप करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा पुरानी पांडुलिपियों को फोटो स्टेट करने की व्यवस्था की जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। क्या इस बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है। हस्तलिखित पांडुलिपियों को प्रकाशित किया जाए जिससे विद्वान लोग उसका अध्ययन कर सकें। प्रत्येक के लिए कलकत्ता जाकर रहना और अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए इनका प्राधान्य आवश्यक है।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि "इस्लामिक" एक अलग से कक्ष स्थापित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि संसार की अन्य भाषाओं की किताबें भी वहाँ पर हैं। संस्कृत है, बंगला भाषा है, इस प्रकार और भाषाएँ भी हैं। किन्-किन भाषाओं के लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बने। संसार भर के विद्वान भारत में आएँ और भारत की संस्कृति का प्रचार हो।

**प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) :** सभापति जी, साधारणतः इस विधेयक का समर्थन किया ही जाना चाहिए और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। किन्तु कुछ बातें हमारी नजर में इस बिल में आई हैं, जिनकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

यह सही है कि एशियाटिक सोसायटी का अतीत गौरवमय और महान रहा है उसको हमें कायम

रखना चाहिए। जब आर्थिक समस्याएँ इस संस्थान के सामने आयीं तो केन्द्रीय सरकार आगे बढ़ रही है, यह सहारा देने का प्रयास सराहनीय है। इसके साथ-साथ जो प्रश्न डागा जी ने और दूसरे बक्ताओं ने उठाए हैं कि इस संस्थान की स्वायत्तता कायम रहनी चाहिए, उसकी ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक समस्याओं को सुलझाकर उसकी स्वायत्तता का अपहरण हो जाए तो इससे संस्था की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी।

अतीत में जो व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बनने में गौरव प्राप्त करता था, जो इस संस्था का सदस्य होता था वह संस्था का सदस्य होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा हो जाती थी। वैसी स्थिति में विधेयक में जो बोर्ड का प्रावधान रखा गया है और सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उनकी योग्यताओं को कौन निर्धारित करेगा? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या यह सारा का सारा काम मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स को ही सौंप दिया जायेगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह शिक्षा-विदों के प्रति न्याय होगा? अभी डागा जी ने कहा था कि इस संस्था का पंजीकरण सोसायटीज एक्ट में हुआ है। इसलिए, इस पर भी सोचना चाहिए। यह संस्थान पश्चिमी बंगाल में है, इसलिए इसके उत्थान और इसकी परम्परा को कायम करने के लिए तथा सही संचालन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार का सहयोग अपेक्षित है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस मामले में कन्फ्रंटेशन खड़ा न हो।

**MR. CHAIRMAN :** The Registration Act is only meant for registration of the society.

**PROF. AJIT KUMAR MEHTA :** It is correct, but normally, except that everything will fall under the jurisdiction of that particular Government. That is why I am simply suggesting this to the Government.

बहुधा यह देखने में आया है कि जब भी कोई ऐसा संस्था बनती है जिसमें बोर्ड या कमेटी की

व्यवस्था होनी है तो उसके सदस्यों की योग्यता के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया जाता। हमारे यहां ऐसी परिपाटी चल पड़ी है कि अब भी कोई राजनीतिज्ञ संसद या विधान सभा में असफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी पहुंच किसी प्रभावशाली व्यक्ति तक है तो उनको ऐसी संस्थाओं में रख दिया जाता है। जैसे, पिजरापोल सोसायटी में सभी रिटायर्ड लोगों को रख दिया जाए।

श्री हरीश रोहत : आपका भी कभी नम्बर आ जायेगा।

आचार्य भगवान देव : पहले पढ़ाते थे, अब यहां आ गए हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : पिजरापोल सोसायटी में धरण लेने की बात आप लोग सोच सकते हैं। मैं, अभी काम करने में सक्षम हूँ। इसलिए, मैं इसमें नहीं हूँ। विल को देखने से पता चलता है कि इसमें प्लानिंग बोर्ड की व्यवस्था की गई है। इस संस्था में कौन्सिल की व्यवस्था पहले से ही है। प्लानिंग बोर्ड ही इसके बारे में सोच-समझकर सलाह देने का काम करेगा तो कौन्सिल का क्या काम रह जायेगा। इस विधेयक में प्लानिंग बोर्ड की जो व्यवस्था की गई है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कार्य इस सोसायटी की कौन्सिल को ही सौंपा जा सकता था। वह इसको भली प्रकार कर सकती थी। 36 लाख की व्यवस्था की गई है। मुझे डर है कि कहीं यह सारा या इसका अधिकांश भाग प्लानिंग बोर्ड और कमेटीयों पर ही खर्च न हो जाए और आपका जो मंशा आर्थिक संकट को दूर करने का है वह जहां का तहां रह जाए।

धारा 13(1) में आपने लिखा है :

'doubt without just or reasonable cause, has made default, etc.'

उपधारा (2) में आपने लिखा है :

The council of societies has exceeded or abused Powers in relation to the society or any part thereof.

अब आपने इसका प्रावधान किया है तो कौन इसका निर्णय करेगा ?

Who will decide that the society has done certain thing without just or reasonable cause and made default and who will decide that the society has exceeded or abused the powers ?

क्या आपने इसमें कहीं प्रावधान किया है कि यह कौन निर्णय लेगा ? निश्चित रूप से आका मंशा यही है कि यह निर्णय आपके मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट लें। ऐसी बात है तो क्या यह नीकरशाही का वचंस्व नहीं होगा शिक्षा विदों के ऊपर ? इससे आपका जो मंशा है क्या उसकी पूर्ति हो सकेगी ?

आपका मंशा अच्छा रहा होगा। लेकिन मुझे शक है कि आपको उसमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि विधेयक में आपने इतने प्रावधानों की भरमार कर दी है कि ब्यूरोक्रेसी के वचंस्व की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो गई है। कमेटी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है। इससे कहीं यह पाकिसन ला दृष्टान्त न हो जाए। इसका आपको ध्यान रखना है।

इस विल का मैं समर्थन तो करता हूँ किन्तु जो बातें मैंने कही हैं उन पर आप गम्भीरता से विचार करें। साथ-साथ आपकी नजर में मैं बिहार के दरभंगा जिले में स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत लाइब्रेरी का केस लाना चाहता हूँ जहां बहुत बहु-मूल्य ग्रन्थ संकलित हैं और जिनके देख-रेख की व्यवस्था करने की जरूरत है। वह भी राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है। मैं आशा करता हूँ कि उस पर भी आप ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विल का सिद्धान्ततः समर्थन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Bill is only one hour. About forty minutes are already over. I would request the hon. Members to be very brief.

Shri Girdhari Lal Vyas. Please try to finish within five minutes.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : It is an important bill. The time may be extended.

MR. CHAIRMAN : Let the allotted time of one hour be over. Let that stage come. Only then I can seek the views of the House for extension of time.

Shri Girdhari Lal Vyas.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भोलवाड़ा) : इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से इस बिल का ड्राफ्टिंग किया गया है, कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं और बताया है कि ड्राफ्टिंग किस प्रकार का होना चाहिये। इसमें अगर आवश्यक सुधार हो तो निश्चित तरीके से वह एक अच्छी व्यवस्था होगी। मूल उद्देश्य जिसके लिए यह सोसाइटी बनाई गई है उसका वर्णन क्लॉज (4) में इस प्रकार है :

4. सोसाइटी को अपने कृत्यों का, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतः अनुसंधान, साहित्यिक पुस्तकालय, वैज्ञानिक और संग्रहालय संबंधी कार्यकलाप, पाण्डुलिपियों, सिक्कों और कलाकृतियों का संग्रहण तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य साहित्य का कार्यक्रम है, दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिये, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा विधि द्वारा हम निमित्त सम्यक् विनियोग किए जा नि के पश्चात् सोसाइटी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियाँ अनुदान, उधार के रूप में या अन्यथा दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे। इन कार्यों के लिए भारत सरकार सोसाइटी को अपनी तरफ से सहायता देगी। क्योंकि जैसा वेस्ट बंगाल के एक माननीय सदस्य ने बताया कि वेस्ट बंगाल की सरकार की आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने के कारण इस सोसाइटी को पूरी तरह से सहायता नहीं दे पायी और इसी वजह से यह सोसाइटी ठीक से काम नहीं कर पायी। अतः भारत सरकार से कहा गया कि इस संस्था को अपने हाथ में लेकर इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाये ताकि हमारी पुरानी संस्कृति से संबंधित जो पाण्डुलिपियाँ हैं उनकी सुरक्षा हो सके।

मगर ऐसा केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं है, बल्कि ऐसी पाण्डुलिपियाँ हर प्रदेश में मिलती हैं और उनके संबंध में आपने इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जिससे उन पाण्डुलिपियों की व्यवस्था की जा सके। हमारे टोंक जिले में एक बहुत ही पुराना संग्रहालय है जिसमें अरविन, पशियन पाण्डुलिपियाँ रखी हुई हैं और उनकी व्यवस्था एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है जिसकी वजह से इतनी कीमती पाण्डुलिपियाँ लोग विदेशों में ले जा रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार की कीमती चीजें विदेशों में ले जायें और सरकार कोई व्यवस्था न करे तो हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

इसी प्रकार जैमलमेर में पुरानी विख्यात हवेलियाँ हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन पाण्डुलिपियों की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं हो रही है। उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि ऐसी हमारी संस्कृति की जो पुरानी चीजें हैं उनके बारे में भी अगर किसी प्रकार का कोई बिल लाया जाता तो उमसे हम अपनी संस्कृति को बचा पायेंगे। ऐसा होना बहुत जरूरी है और मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा जल्दी से जल्दी कोई न कोई बिल लाकर वे देश के अन्य भागों में भी व्यवस्था करें। जहाँ भी पाण्डुलिपियाँ हैं उनका संग्रह करना नितान्त आवश्यक है, इससे हमारे देश को लाभ मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि आपने बोर्ड बनाया, ठीक है। मगर जितने भी इसके बोर्ड मेंबर होंगे उनकी फ़ायलिकेशनस और नम्बर आफ मेंबरस का वर्णन इस बिल में ही होना चाहिये था, जो कि इस बिल में नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब बनाये जायेंगे तो नियम में उसका प्रावधान कर दिया जायगा। नियम में तो होगा, मगर बिल में भी व्यवस्था होनी चाहिये कि किस प्रकार के लोग इसके मेंबर बन पायेंगे। ऐसे स्कालर्स जो इस बात के ऐक्सपर्ट हों उनकी अगर इसमें सम्मिलित किया जाय उसके सम्बन्ध में

कोई प्रावधान इसमें किया जाये तो वह स्वागत योग्य होगा। उससे अच्छे लोगों को इसमें सम्मिलित करने का अवसर मिलेगा। ऐसी अवस्था के अभाव में, जैसा कि प्रो० मेहता ने कहा, उसमें किन्हीं लोगों का समावेश किया जा सकता है। इन चीजों को रोकने के लिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस बिल में समितियां बनाने की बात भी कही गई है। ये समितियां किस प्रकार की बनेंगी, किस तरह की चीजें देखेंगी और कितनी समितियां होंगी। जो सारे कार्य-कलाप को देखेंगी। इस बारे में भी इस बिल में जानकारी होनी चाहिये थी जिसके अभाव में यह बिल अधूरा है।

रिब्यू कमेटी की बात भी इसमें कही गई है। रिब्यू कौन लोग करेंगे, किसका कार्य रिब्यू किया जाता है? जो डिपोजन लेता है, उसी को रिब्यू करने का अधिकार होता है। इसमें कमेटी के निर्धारण कि किस तरह से आपने आवश्यकता महसूस की?

बिल के सेक्शन 11 में आपने समितियों को सुविधाएं देने के बारे में बात की है :-

सोसाइटी धारा 8 के अधीन गठित बोर्ड को और धारा 9 या धारा 10 के अधीन गठित प्रत्येक समिति को, अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में उन्हें समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिये आबद्ध होगी।"

वह क्या आवश्यक सुविधाएं हैं जो इस बोर्ड को, समिति को और रिब्यू कमेटी को उपलब्ध करा-येंगे? इस बारे में कोई प्रावधान इसमें नहीं है। उसका समायोजन इसमें नहीं किया गया है, जिनका दुरुपयोग बाद में होगा। इस प्रकार की जितनी फैसेलिटीज हैं हमारे अधिकारी वर्ग द्वारा उनका समावेश इसमें बाद में किया जा सकता है। इसलिये उन फैसेलिटीज का भी जिक्र निश्चित तरीके से इसमें होना चाहिये।

सोसाइटी की परिषद् ने सोसाइटी या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में शक्तियों का अतिक्रमण किया है या दुरुपयोग किया है तो केन्द्रीय सरकार उसका कार्य-भार संभाल लेगी, इसका भी प्रावधान आपने इसमें किया है।

नियंत्रण में ले लेने के बाद एक या दो जो भी आप उपयुक्त समझेंगे, उनके जिम्मे आप सारा काम दे देंगे। उनको उसी प्रकार का अधिकार होगा, जिस प्रकार का अधिकार काउंसिल को है। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को भारत सरकार वहां बैठायेगी, उनको किस तरह का अधिकार होगा? काउंसिल का जो अधिकार था, सभी, उन्हीं के तहत जिनको आपने अधिग्रहण के बाद बैठाया, उनको किस तरह के अधिकार दिये जायेंगे? इसका कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है।

क्लाज 15 में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। सरकार को इस विधेयक में बोर्ड, समिति और रिब्यू कमेटी के नियम बनाने के अधिकार-क्षेत्र के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी।

मैं समझता हूँ कि बिल के प्रावधानों को देखते हुए और क्लेरिफिकेशन के अभाव में यह बिल अधूरा है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर और गौर करें। उपयुक्त प्रावधानों के अभाव में यह सोसाइटी एक सिक यूनिट बन गई है। अगर इस बिल को कमियों को दूर न किया गया, तो भविष्य में इसके फिर सिक यूनिट होने की संभावना है। मंत्री महोदय एक पूरा बिल सदन के सामने लाएं, ताकि यह सोसा-यटी ठीक प्रकार से चल सके।

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Mr. Chairman, I congratulate the Government for having given thought to taking over this Institution as an institution of national importance.

But I also agree with my friend Hon. Shri Mool Chand Daga that the legislation before us is rather hasty or half-hearted and that

it is being rushed through.

I have to say that there is no haste to rush through it, because this is not an ordinary library. This is a society. It is a special society. Library is not a movement only. It is a science.

After the attainment of freedom, in the first decade, there was a library movement all over. There was the Society like the Royal Asiatic Society of Bombay. We took out the word 'Royal' and now it is called Asiatic Society of Bombay. Here is also the Asiatic Society of Calcutta and the Royal Oriental Library of Madras. Its national importance was recognised long back.

Now the Government has come forward and I congratulate the Government for having done it.

I have my misgivings on many points. I was for 16 years a Member of the Managing Committee of the Asiatic Society of Bombay. Having asked for a grant from the Central Government, we were also saddled with the work of receiving and stocking publication of five copies of each publication under the Publications Act. All our godowns were full. We could not take out the trash from the important ones. If some such vicarious liability could be thrust upon us in this library, its purpose as a specialised library will become illogical. Justice William Jones was on the same line of thinking as Max Muller, Prof. Whitney and many other Indology scholars at that time. There was a special purpose for this library which is collection of manuscripts, republication of books which became out of date and collection of rare coins. It is almost a museum of literature, and therefore there are misgivings on the part of Shri Mool Chand Daga and many other Members like me who spoke on this subject. If this Society goes into the network of a bureaucratic administration, the whole purpose and the main objective of the whole Society will be lost.

I would like to know from the Hon. Minister, out of the allocations and funds, that will be given to the library, how many

old manuscripts in tattered condition will be micro-filmed ?

What will be done to maintain them ? It is not that the West Bengal Government had no money, but they do not have sufficient money to do all these specialised things which they expect. Now that the Government is taking over the Society, they must do all this. I thought that in the Statement of Objects and Reasons some concrete programme would be there to maintain the sanctity of the library, not merely running it through some bureaucrats, having a Board, Review Committee and several other Committees. I do not know how many of these Committees will be formed and for what purpose. There was a National Board of Museums formed in the last Lok Sabha and I was appointed on that as a member. But not a single meeting has taken place. I do not know whether the Board is in existence or not. I was duly elected by the Lok Sabha. Not a single meeting has been held. Similarly, some such Board will be formed where there will be no meeting at all, because library does not get that much of priority. This is a specialised library. What particular duties and functions will this specialised library perform after the Government takes it over ? I have to draw the attention of the Government to this aspect. The question of shortage of funds should not be there for collection of the rare manuscripts, for buying more and more manuscripts, for making the library more expansive and comprehensive, for buying of rare coins and rare periodicals, for reprinting of ancient literature, etc. If this purpose is going to be achieved, then you have my wholehearted support for this measure although the Bill is very badly drafted because of which, I am afraid, there is a lot of scope for mischief or possible non-fulfilment of the laudable objective or purpose for which Government has come forward before this House with this Bill. This is a technical library. There are now technologists in library science. We have now musicologists and museumologists. What type of people are going to be selected and inducted on the Board, I do not know. We had stalwarts like Prof. R C. Mazumdar, Mahamahopadhyaya Dr. P.V. Kane, Dr. Jaiswal, Dr. Ganganath Jha and such other persons who know what the value of the

library is. If such people are taken on the Board, I will be very happy. I do not want to say anything derogatory about bureaucrats, but there is a style of thinking on their part. They are not permanent, they are changed. We want to have a solid Board which will go into the main objectives for which Justice William Jones had formed this library. You have to expand on that objective. It is now stagnant. I will narrate one instance. For my Ph.D., when I wanted a manuscript, I got it from the India Office Library, London. There each folio was placed within two cellophane paper and the whole thing was well bound. But all the manuscripts which I used from the Asiatic Society, Calcutta, Patna, Bikaner, Jaipur and so on were in a altered condition, and every time I used to lift a folio, it used to get torn. If another two or three research scholars handle it, the whole thing will be completely torn. I would, therefore, like the Government to tell the House as to what they are going to do to maintain and expand this library. Whether you appoint one Board or ten Review Committees, I am not concerned with those things. I am only concerned with this : when you are taking it over after 200 years, if you really mean something good, you should spell it out before the House. Then the purpose will be served.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, माननीय डागा साहब ने इस बिल के विभिन्न प्राविजन्स का जिस तरीके से पोस्ट मार्टम किया है उसके बाद मैं समझता हूँ इन प्राविजन्स के विषय में बहुत कुछ कहने को यहां पर बचता नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी एकमात्र रिसर्च का स्थान नहीं है बल्कि हमारी जो संस्कृति है और हमारी संस्कृति का जो विकास का पुराना दौर है उन सबका संग्रहालय है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि वहां की गर्वनिंग बाडी की मांग पर या जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारे देश का उसकी मांग पर इसको नेशनल इम्पाटेंस का मान पर इसके लिए वह बिल ले आई है। और सदन को कांफिडेंस में लेकर इसमें सुधार करने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ इस बिल के पारित होने के बाद इस संस्था की स्थिति में सुधार आयेगा। जो उसका भवन है, जो अपने आप में

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबतक उसमें आध सुधार नहीं करते हैं या जबतक वहां की पाण्डुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाकर रखते हैं, तब तक मैं समझता हूँ इसके पीछे जो आपका उद्देश्य है, वह अधूरा ही रह जायेगा।

इस बिल में विभिन्न प्रकार की बाडीज बनाने की बात कही गई है। मेरे मित्र ने यह आशंका जाहिर की है कि इनके जरिए इसकी स्वायत्तता कम होगी और वहां पर अधिकारियों का वर्चस्व रहेगा और इस प्रकार इस सोसायटी का जो काम है, जो उसका स्वरूप और उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। मैं भी अपने को इस आशंका के साथ जोड़ता हूँ और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे सदन में इस भय का निराकरण करें और इस बात की घोषणा करें कि व्यूरोक्रेट्स के स्थान पर प्रबुद्ध लोगों को वहां पर लिया जायेगा। साथ ही साथ जो प्लानिंग-बोर्ड बनाने की बात है वह मात्र एक बाडी बनकर नहीं रह जायेगा बल्कि जैसा इस संस्था का अतीत रहा है, उसी प्रकार इसका भविष्य बनाने में भी सहायता मिल सकेगी तथा हमारे विद्वानों के लिए यह संस्था एक उत्तम रिसर्च सेन्टर बन सकेगी, इस प्रकार की व्यवस्था हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जिस प्रकार से अन्य चीजों के लिए जागरूक है, इसको भी ध्यान में रखा जायेगा तथा मंत्री जी जिस उम्मीद के साथ यह बिल लाई है वह उम्मीद पूरी हो सकेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो एशियाटिक सोसायटी के बारे में अपना बक्तव्य दिया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और मुख्य रूप से अनुसन्धान के क्षेत्र में जो इसका योगदान होना चाहिए उस पर अगर विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह संस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन यह जरूरी है कि अनुसन्धान कार्यों को देश की खनवा के साथ जोड़ा जाए।

बाबकल कहीं भी जो अनुसंधान होते हैं उनमें प्रायः देखा जाता है विषयविद्यालयों में मुख्य रूप से बौद्धिक क्षेत्र में या एकेडेमिक तरीके से जो कार्य होते हैं उसमें किसी विशेष ज्ञान के विस्तार के बारे में तो आगे काम किया जा सकता है लेकिन उस पूरे कार्य को यदि जनता की आवश्यकताओं के साथ नहीं जोड़ा गया तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अप्रार्थ करूंगा कि इस संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखें कि जो अनुसंधान कार्य इस सोसायटी के द्वारा किए जाते हैं वह हमारे समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस संस्था की स्वायत्तता का सवाल है वह बनी रहनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इस बिल के प्रावधानों से कहीं इस संस्था की स्वायत्तता ही खतरे में न पड़ जाए। आप बिलीय सहायता तो दें, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण अपना न रखें, ताकि यह संस्था ठीक ढंग से उन्नति कर सके।

अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भवनों का निर्माण आप नहीं करवाते हैं, तो पांडुलिपियों के रखने की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस सरकार को चाहिए कि इसको अधिक से अधिक अनुदान देकर भवनों के निर्माण की व्यवस्था कराए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अरबुल रशीद काबुली (श्रीनगर): मोहतरिम चेयरमैन सर, यह बिल जो एशियाटिक सोसायटी के नाम से एवान में पेश किया गया है मैं दिल की गहराई से इसका समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में जो इस किस्म के रिलिक्स हैं, उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, जिसका कि हमारे मां जी के साथ संबंध है। हमारी पहचान है। रिलिक्स और मिट्टेचर अरेबिक, संस्कृत और परमियन इन सारी भाषाओं में बहुत बड़ी सामग्री का हमारे पास खजाना है, जिसकी कि हमें हिफाजत करनी है। मैं समझता

हूँ कि सरकार ने यह कदम उठाकर एक उम्मीद की किरण पैदा की है और इस सिलसिले में और भी कदम उठाए जायेंगे। इस बिल को देखने से मायूस होता है कि एशियाटिक सोसायटी के नाम से यह इन्स्टीचूशन 15 जनवरी, 1964 में कलकत्ता में कायम किया गया था। यदि इस बिल के बारे में मैं अपनी राय कायम करूँ, यदि मुस्तलिफ सैकण्ड्स पर गौर किया जाए, तो सैकण्ड-7 में कहा गया है—

'Prior approval of Central Government necessary for certain action by Society'.

सैकण्ड-8 (1) में कहा गया है प्लानिंग बोर्ड बनेगा, चेयरमैन बनेगा और मेम्बर बनेंगे और सारी की सारी पावर्स सेन्टर ने अपने हाथ में रख रखी है। सैकण्ड-9 (1) में कहा गया है—

'The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute as many committees, as and when it considers it necessary,.....'

इस तरीके से सैकण्ड-12 (1) में

'Power to issue directions to Society'.

सैकण्ड-13 में कहा है—

'Power of Central Government to assume functions of control.'

इन सब सैकण्ड्स में सारी की सारी पावर्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। मैं समझता हूँ कि एशियाटिक सोसायटी बैस्ट बंगाल में है तो कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन वहाँ की सरकार का भी होना चाहिए। बराबर का हिस्सा न सही तो कुछ हद तक हिस्सा तो उनका होना चाहिए। ताकि जो प्रोग्राम बनेगा, खर्चा होगा, बोर्ड बनेगा, मेम्बर्स बनेंगे, तो उनमें मुकामी सरकार का भी हिस्सा होना चाहिए। सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में रखकर बैस्ट बंगाल की सरकार को यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि उसको बाहर ठकेल दिया गया है। संस्था चाहे बैस्ट बंगाल में हो या किसी भी स्टेट में हो, जम्मू-काश्मीर में हो, सभी स्टेट का इक्यूवल इन्टरेस्ट है, इस इन्स्टीचूशन को त्रिभुजा रखने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए, फौजदारी करने के लिए और



उसकी ह्मिकायत करने के लिए ।

दूसरी बात में अपनी स्टेट के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ । जम्मू-काश्मीर की सरकार ने भी कुछ इदारे बनाए हैं । जम्मू-काश्मीर कन्वर्ल एकेडमी के नाम से भी एक संस्था है, जिसमें लिटरेचर रखा हुआ है, बहुत सी रैलिक्स और मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं । आर्ट, लैम्बेजेज और कल्चर के शोबों में तरफकी और फंलाव का काम हो रहा है । लोगों के पास कीमती नवादरात का जखीरा मौजूद है ।

ये सारी चीजें आर्ट-पीसेज हैं, जिन को हासिल करने के लिए उन के पास पैसा नहीं है । लेकिन हमने यह देखा है कि यहाँ पर दो-अमली हो रही है । मकंजी सरकार कुछ इस तरह की चीजों को खरीद रही है । हमारे यहाँ एक "महजूर काश्मीरी" शायर हुए हैं उनकी बहुत सी तसानीफ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगीं, मकंजी सरकार ने उनको हासिल कर लिया । जबकि मकंजी सरकार का यह फर्ज है कि ऐसी चीजों के हासिल करने में स्टेट गवर्नमेंट की मदद करे । पूरे मुल्क के अन्दर इस तरह की चीजें फैली हुई हैं और बिकती जा रही हैं । मकंजी सरकार जो बिल साई है, मुझे बहुत खुशी है, वह इसको जरूर पास करे, लेकिन ऐसे कामों में रियासती सरकार को नजर-बन्दाज नहीं करना चाहिए, ऐसे कामों में उनके पार्टिसिपेशन का पूरा ख्याल रखे ।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): محترم جیڑ میں سرریہ بل جو ایٹھانک سوسائٹی کے نام سے ابوان میں پیش کیا گیا ہے میں دل کی گبرائے اس کا سرقرن کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو اس قسم کے ریکس ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ جس کا ہمارے ماضی کے ساتھ سبندو ہے۔ ہماری پہچان ہے۔ ریکس اور لوجز ہر ایک سنسکرت اور پریشیں ان ساری بھاشاؤں میں بہت بڑی سامگری کا ہمارے پاس خزانہ ہے جس کی کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے یہ قدم اٹھا کر ایک آئید کی کرن پیدا کی ہے۔ اور اس سلسلے میں

اور بھی قدم اٹھائے جائیں گے۔ اس بل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایٹھانک سوسائٹی کے نام سے یہ ایٹیویشن ۱۵ جنوری ۱۹۸۳ میں کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ یہی اس بل کے بارے میں میں اپنی رائے قائم کروں یہی منٹاف سیکشن پر غور کیا جائے۔ تو سیکشن۔ ۷ میں کہا گیا ہے۔

'Prior approval of Central Government necessary for certain action by Society.'

سیکشن۔ ۸ (۱) میں کہا گیا ہے پلاننگ بورڈ نے گاؤں چیرمین بنے گا اور ممبرین گے اور ساری کی ساری پادرس سینئر نے اپنے ہاتھ میں رکھ رکھی ہیں۔ سیکشن۔ ۹ (۱) میں کہا گیا ہے۔

'The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute as many committees, as and when it considers it necessary,.....'

اس طریقے سے سیکشن ۱۲ (۱) میں۔

'Power to issue directions to Society'.

سیکشن ۱۳ میں کہا ہے۔

'Power of Central Government to assume functions of control.'

ان سب سیکشن میں ساری کی ساری پادرس سبزل گورنمنٹ کو دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹھانک سوسائٹی ویسٹ بنگال میں ہے تو کچھ نہ کچھ پارٹیشن دہاں کی سرکار کا بھی ہونا چاہئے۔ برابر کا حصہ نہ بیع تو کچھ حد تک حصہ تو ان کا ہونا چاہئے۔ تاکہ جو پروگرام بنے گا۔ خرچ ہوگا بورڈ بنے گا ممبرس بنیں گے تو ان میں مقامی سرکار کا بھی حصہ ہونا چاہئے۔ ساری کی ساری پادرس اپنے ہاتھ میں رکھ کر ویسٹ بنگال کی سرکار کو یہ ظاہر نہیں ہونا چاہئے کہ اس کو باہر ڈھیل دیا گیا ہے۔ سبھتھا چاہئے۔ ویسٹ بنگال میں ہو یا کسی بھی اسٹیٹ میں ہو جوں کشمیر میں ہو سبھی اسٹیٹ کا ایکوئل انٹریسٹ ہے اس ایٹیویشن کو زندہ رکھنے کے لیے آرٹھنک مدد کرنے کے لیے پھیلاؤ کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کیلئے۔

दूसरी बात میں اپنی اسٹیٹ کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنوں کشمیر کی سرکار نے بھی کچھ ادارے بنائے ہیں۔ جنوں کشمیر کپورل اکیڈمی کے نام سے بھی ایک سنتھ ہے۔ جس میں لوجی رکھا ہوا ہے۔ بہت سی رلیکس اور موزیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ آرٹ لیگنکو بجز اور کپورل کے شعبوں میں ترقی اور پھیلاؤ کا کام ہو رہا ہے۔

لوگوں کے پاس قیمتی نوادرات کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں آرٹ میسر ہیں۔ جن کو حاصل کرنے کیلئے ان کے پاس مینیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر عملی ہو رہا ہے۔ مرکزی سرکار کچھ اس طرح کی چیزوں کو خرید رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مہجور کشمیری شاعر ہوئے ہیں ان کی بہت تصانیف ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ نہیں لگیں۔ مرکزی سرکار نے ان کو حاصل کر لیا۔ جب کہ مرکزی سرکار کا یہ فرض ہے کہ ایسی چیزوں کے حاصل کرنے میں اسٹیٹ گورنمنٹ کی مدد کریں۔ پورے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور کئی جا رہی ہیں۔ مرکزی سرکار جو بل لائی ہے مجھے بہت خوشی ہے وہ اس کو فروغ دے کرے۔ لیکن ایسے کاموں میں ریاستی سرکار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے کاموں میں اسکے پارٹیشن کا پورا خیال رکھے۔

**بھو ریت لال پراساد بھارما (کوٹھرما) :** سभा-पति महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को इस एगियाटिक सोसायटी विधेयक को यहां लाने के लिये धन्यवाद देता हूं। यह वास्तव में बहुत श्ला-घनीय विल है—200 वर्ष पूर्व स्वर्गीय विलियम जोन्स ने इस सोसायटी की स्थापना की थी जिस में पिछले 200 वर्षों में भारतीय कला-कृतियों और संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संग्रहीत किया गया। आज इस संस्था का राष्ट्रीयकरण करके निश्चित रूप से आपने एक सराहनीय काम किया है और इससे इस संस्था के संस्थापक की आत्मा निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। इस संस्था ने पिछले 200 वर्षों में 12 हजार से अधिक पाण्डु-लिपियां, 50 हजार से अधिक ग्रन्थ और बहुत बड़ी संख्या में स्वर्ण तथा रजत सिक्के एकत्रित किये जो हमारे शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय धरोहर सिद्ध होंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस तरह की धरो-हर की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है लेकिन जैसा कुछ मित्रों ने कहा है—विशेष कर हमारे वेस्ट बंगाल के सदस्य ने कहा है—कि इस प्रकार के विधेयक से केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण और प्रभाव उस संस्था पर ज्यादा बढ़ेगा। किसी हद तक यह बात गलत नहीं है क्योंकि इस बिल में जो प्लानिंग बोर्ड और कमेटियों की व्यवस्था रखी गई है उसमें केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से कोई बिल तैयार किया जाता है तो उसमें केन्द्रीय सरकार का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस विधेयक के अनुसार आवंटन भी केन्द्रीय सरकार को करना है। लेकिन जितनी कमिटीज बनाई गई हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। कायदा यह है कि जब भी कोई बिल बनाया जाता है तो उसमें हर चीज की संख्या निर्धारित की जाती है लेकिन इसमें प्लानिंग बोर्ड और कमिटीज की संख्या का पता ही नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 36 लाख का आवंटन इसमें किया गया है, उतना पैसा तो दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली आने जाने में ही व्यय हो जायगा। जबकि स्वर्गीय विलियम जोन्स की भावना के अनुसार इस सोसायटी में अनुसंधान होना चाहिये, जो भी हमारी कला और संस्कृति से सम्बन्धित वस्तुएं हैं उनके इतिहास की खोज होनी चाहिये, अधिक से अधिक पैसा ऐसे कामों पर खर्च होना चाहिये लेकिन जैसा दिखाई पड़ता है इसमें जो फाइनेन्शियल रिपोर्ट तैयार होगी। उसमें भी हम समझते हैं पचासों हजार खर्चा खर्च हो जाएगा। फिर कमिटी में कितने सदस्य होंगे, उन पर कितना खर्च होगा? मैं समझता हूं कि 36 लाख रुपए का आवंटन तो इसी बचकर में लग जाएगा। खर्च का एक साइकिल चलेगा और उसी में वह खर्च होता जाएगा।

जो सोसायटी 1784 में स्थापित हुई थी जिसमें कि दो सौ वर्षों के अन्दर जितनी कला-कृतियां एकत्रित की गईं, मैं समझता हूं कि उनको चार-पांच गुना बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कलकत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय महानगर है।

इस महानगर का आज से नहीं, बहुत समय से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बना आ रहा है। इस सोसायटी में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों और विद्वानों का एक अपना स्थान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अधिक आवंटन किया जाना चाहिए और इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो भी इसके लिए आवंटन हो वह केवल अधिका-रियों पर और बोर्ड के मेम्बरों पर ही खर्च न हो। मुझे आशा है कि मंत्री जी जब जवाब देंगी तो वह यह बतायेंगी कि किस तरह से इसमें खर्चा होगा।

इन शर्तों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने एशियाटिक सोसायटी बिल के ऊपर अपनी-अपनी राय दी और थोड़ी-बहुत अपनी दिक्कतें भी बतायीं। मैं सबकी बहुत आभारी हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्तलिफ दल के लोगों ने इस बिल में अपनी दिलचस्पी दिखाई। न केवल बंगाल के माननीय सदस्य, बल्कि अन्य माननीय सदस्यों के दिमाग में जो गलतफहमियाँ आ गई हैं, उनको दूर करना मेरा फर्ज हो जाता है और मैं यह कोशिश करूँगी कि उन गलतफहमियों को उनके दिमाग से साफ कर दूँ जिससे कि वे यह समझ सकें कि यह कितना बढ़िया बिल आया है।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमारी एशियाटिक सोसायटी के कौंसिल के जो 1984-85 के मेम्बर हैं, वे वैसे के वैसे हैं जिनका कि इलेक्शन हुआ है। वे वहीं के वहीं हैं। उनमें प्रेसीडेंट हैं, चार वाइस प्रेसीडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और तीसेक्रेटरी हैं, कौंसिल के मेम्बर हैं, चार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, वेस्ट रेप्रेजेंटेटिव हैं, वेस्ट बंगाल के रेप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसमें काबिल लोग हैं। पुणे के श्री दांडेकर हैं। सब इसके अन्दर हैं। इस सोसायटी का जो काम करने वाले हैं, वे वही हैं।

आपको मालूम है कि इस सोसायटी में 11 सौ

मेम्बर हैं। इसमें वे ही लोग होते हैं जो कि पढ़े-लिखे होते हैं। उनमें से ही चुनकर वे ऊपर आते हैं। फिर यह कहना कि कोई टाग, डिग, हेरी इसमें आ जायेंगे, यह सही नहीं है। पता नहीं माननीय सदस्य ने ये शब्द कैसे कह दिये। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। इसमें बड़े काबिल लोग हैं। इसकी आटोनोमी बैसी-की-बैसी रहेगी।

जैसा कि बताया गया कि कौंसिल आफ सोसायटी ने सरकार से आग्रह किया था कि इसको ले लेना चाहिए। इसमें पैसे की कमी थी जिसकी वजह से काम ठीक से नहीं चल रहा था। जो इसमें खराबी आ चुकी थी, अब इसे उससे ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो माननीय सदस्य हैं वे इसको देखें और समझें कि यह कितना मुश्किल काम है। फिजूलखर्च के बारे में भी यहाँ कहा गया। मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि सरकार इसके मेन्टीनेंस के लिए 21 लाख रुपया साल का देने वाली है। डेवलपमेंट के लिए 15 लाख है। कुल मिलाकर 36 लाख होता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारा पैसा कमेटीज में खर्च हो जाएगा। और बोर्ड पर खर्च हो जायेगा। बोर्ड के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और कमेटीज के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। मीटिंग्स करने के लिए और आने जाने के लिए अलग से 5 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। तो किसी के दिल में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि इस पैसे का दुरुपयोग होगा। एक फाइनेंस कमेटी बनी है जो सब चीजों को देखेगी। डेवलपमेंट ग्रांट अलग से है। इसमें फोटो डाक्यूमेंटेशन का काम, बाइसेंटिनरी पब्लिकेशन, लेमिनेशन, रेस्टोरेट्स आफ पेंटिंग्स, किताबों की सुरक्षा के लिए हवा का उचित प्रबन्ध, इस तरह के काम होंगे। इसके अलावा जो वर्कआउट किया गया है उसके अनुसार 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। कहा गया है कि अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। बाइसेंटिनरी बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया जाएगा। उसके लिए सातवें प्लान में डेढ़ करोड़ रुपया रखा गया है। अगर आगे चल कर और पैसे की जरूरत होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस सारे मामले को

हल्केपन से लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। श्री डागा जी ने कहा कि एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसको दो सौ साल हो गए हैं और कुछ साल तो यह ठीक चली होगी अब काफी समय से खराब चली। कई माननीय सदस्य पिछले साल से कह रहे हैं कि इसको जल्दी कीजिए। मैं समझती हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने से और देर होगी और यह मुनासिब नहीं होगा। डागा जी ने यह भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कांफीटेंड नहीं हैं—इट इज रिसेलिटेड टू एंटी 63 सेंट्रल लिस्ट, तो यह कहना सही नहीं है। हमारा जो स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड सोसायटी है और इंस्टीट्यूशन आफ नेशनल इंपोर्टेंस एक्ट आफ पार्लियामेंट 1959 में हुआ था और हम उसी को फालो कर रहे हैं एसियाटिक सोसायटी में। उसी पैटर्न को अडाप्ट किया गया है। यह सोसायटी पिछले 25 साल से काम कर रही है और किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई है। अब जो हम बना रहे हैं वह उसी आधार पर बना रहे हैं।

यह भी सही है कि यहां पर बहुत सारी कमेटीज हैं। जैसा कि मैंने यहां पर बताया है कि दस सेक्रेटरी हैं। दस किस्म की एक्टीविटीज के 10 सेक्रेटरी हैं। इतनी बड़ी सोसायटी है, इतना बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें अगर कमेटीज होंगी और ज्यादा सेक्रेटरी होंगे तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस तरह से करने से स्पेशीलाइज्ड अटेंशन दी जा सकती है। मैं समझती हूँ कि यह मुनासिब है।

हमारे गिरि साहब ने भी बहुत एप्रोशिएट किया। इसमें जो किताबें और पाण्डुलिपियां आदि हैं, उनकी देखभाल की जायेगी। गिरि साहब ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सोसायटी का पैसा प्लानिंग बोर्ड इस्तेमाल कर ले। मैंने बता दिया है कि उसके लिए अलग से पैसा रखा गया है। उन्होंने तंजार लाइब्रेरी का भी जिक्र किया था।

We are in correspondence regarding that Tanjavur Library in Tamil Nadu. We are at it, and we are in correspondence with the Tamil Nadu Government.

MR. CHAIRMAN: It is a very good

library.

श्रीमती शीला कौल: प्रो० मेहता ने कहा कि ऐसा न हो कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रिप्रेजेंटेशन हो और कुछ न हो।

The West Bengal Government is already represented in the Council; and it is also represented in the Standing Finance Committee of the Society.

रिब्यू कमेटी होने का मतलब है कि चार-पांच साल के बाद यह देखेगी कि कितना काम सही हो रहा है और कहां कमी रह गई है। मैं समझती हूँ, यह बहुत अच्छी चीज है। व्यास जी ने टोंक और जैसलमेर का भी जिक्र किया। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला था।

उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि जो कुछ प्राइवेटली रखा हुआ है, इसको कब तक रख सकेंगे क्योंकि राजस्थान में टेम्प्रेचर का बहुत फर्क पड़ता है। यह जरूरी है कि हमें उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि पता नहीं बोर्ड में कैसे लोग होंगे? मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें सभी क्वालिफाइड लोग होंगे। ऐसा-वैसा आदमी इसमें रखा नहीं जा सकता।

श्री रशीव मशूब: इसका मतलब है, वगैर पढ़े-लिखे होंगे। .....(व्यवधान)

(شری رشید مسعود: اس کا مطلب ہے نیر پڑھے لکھے

ہونگے۔)

श्रीमती शीला कौल: हमारे, रवीन्द्र नाथ ठाकुर थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इसलिए, चेररमैन, मम्बसैं सभी क्वालिफाइड होते हैं। यह जरूरी नहीं कि डिग्री हो। आपको पता है कि आजकल कैसे डिग्री ली जाती है? श्री काबुली जी ने कहा कि वैस्ट बंगाल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वैस्ट बंगाल का स्टैन्डिंग फाइनेन्स कमेटी और कौन्सिल में भी रिप्रेजेंटेशन है। श्री रावत ने कहा कि पता नहीं इसमें कैसे लोग होंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें एकेडेमिशियन्स होंगे

जो इसको चला सकें। हरिकेश बहादुर जी ने कहा कि पता नहीं इसमें कैसे रिसर्च होगी। वे स्वयं इंजीनियर हैं और जानते हैं कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। वैसा ही होगा जैसी कि होनी चाहिए। मेरा ख्याल है, मैंने सारे पाइंड्स कवर कर लिए हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The first amendment is of Shri Mool Chand Daga. Mr. Daga, do you press it, or want to withdraw it ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : I do not press it.

MR. CHAIRMAN : Does the hon. Member have the leave of the House to withdraw his amendment ?

HON. MEMBERS : Yes.

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to declare the institution known as the Asiatic Society having at present its registered office in Calcutta to be an institution of national importance and to provide for certain matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration".

*The Motion was adopted.*

The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

*Clause 2—Declaration of Asiatic Society as an institution of national importance*

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to move :

Page 1,

for "clause 2" substitute—

"2. The institution known as Asiatic Society in Calcutta is hereby declared as an institution of national importance."  
(2)

You kindly go through clause 2 of the Bill which reads as follows :

"Whereas the late William Jones founded on the 15th day of January, 1784, an institution in Calcutta which is now known as the Asiatic Society and the objects of which are such as to make the institution one of national importance, it is hereby declared that the said Asiatic Society is an institution of national importance."

This can be mentioned in the Statement of Objects and Reasons or in the beginning or in the preamble. Therefore, I simply said, "The institution known as Asiatic Society in Calcutta is hereby declared as an institution of national importance." I have never seen a Bill where you have given the whole history.

I hope the Minister will accept my suggestion.

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS  
AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :  
It is perfectly all right as it is.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Who says it is perfectly all right ? When you say, it is all right, it is all right.

MR. CHAIRMAN : What he wants to propose is that he wants to delete the name of the late William Jones, etc. What the hon. Minister has got to say about it ?

THE MINISTER OF STATE OF THE  
MINISTRIES OF EDUCATION AND  
CULTURE AND SOCIAL WELFARE  
(SHRIMATI SHEILA KAUL) : We are referring it to the antiquity of the Institution. The names of Rabindra Nath Tagore and others are there.

MR. CHAIRMAN : So, you do not agree with it. Are you pressing it ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : No.

MR. CHAIRMAN : Has the hon. member leave of the House to withdraw his amendment ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 3—Definitions*

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move :

Page 2, line 1,—

for "includes any rule or regulation" substitute "means regulations" (3)

You see clause 3(b)—"prescribed" means prescribed by rules made under this Act". Then you see 3(c)—"regulations" includes any rule or regulation." Anybody can understand it. Why again rule or regulation? That is what I have suggested here. This is very simple.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister does not want any change?

SHRIMATI SHEILA KAUL : No.

MR. CHAIRMAN : Are you pressing your amendment?

SHRI MOOL CHAND DAGA : No.

MR. CHAIRMAN : Has the hon. member leave of the House to withdraw his amendment?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : I shall now put Clause 3 to the vote of the House.

The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

PROF. MADHU DANDAVATE : He is professional in withdrawing amendments.

MR. CHAIRMAN : Now we come to Clause 4. There are two amendments.

*Clause 4—Grants, loans etc. by Central Government to Society*

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move :

Page 2, lines 14 and 15,—

omit "after due appropriation made by Parliament by law in this behalf." (4)

Page 2, line 17—

*add at the end—*

"not exceeding fifty lakh rupees" (5)

I say that this Society should be made an autonomous body. Why should it every year come to Parliament for getting the amount after due appropriation? I say, 'No', because you are giving a grant to the Society. Clause 4 says, "The Central Government may, ... pay to the Society in each financial year such sums of money as that Government considers necessary by way of grants, loans or otherwise." Why should it come every year to Parliament? When we want to give such grant or aid, it can be given.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : In case of 'appropriation' the Government has to come to Parliament. In the case of misappropriation the Government does not come to Parliament.

MR. CHAIRMAN : Why do you want to curtail the right of Parliament, when it is already coming here? Anyway, has the Minister to say anything?

SHRIMATI SHEILA KAUL : No.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of

the House that the amendments Nos. 4 and 5 moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn ?

HON. MEMBERS : Yes.

*The amendments, were, by leave withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN : Now we come to Clause 5, amendment No. 10 of Shri Sudhir Giri.

SHRI SUDHIR GIRI (Contal) : I move amendment No. 10 to Clause 5

I beg to move—

*Clause 5—Audit of Accounts of Society*

Page 2, line 23 to 25,—

*omit* "and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Society to the Comptroller and Auditor-General of India." (10)

Please refer to sub-clause (3) of Clause (5). It says that the Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Society shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of the Government accounts, ..." The Comptroller and Auditor General will appoint a person to audit the accounts of the Society. And it is said that any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Society to the Comptroller and Auditor-General of India. I want this portion to be omitted. When the Comptroller and Auditor-General is appointing a person to audit the accounts, why should

the expenditure be borne by the Society ?

The auditing of the accounts will be treated as Government work and C and AG will appoint a Government official to conduct the audit. Then, why should the expenditure be incurred by the Society ? I want this to be omitted.

MR. CHAIRMAN : He wants to know why the expenditure should be borne by the Society, for the audit.

SHRIMATI SHEILA KAUL : The accounts have to be examined and audited by the Auditor-General. So, the expenditure has to be met by the Society because the Society is not a Government society.

MR. CHAIRMAN : Now, I put Amendment No. 10 moved by Shri Sudhir Giri to vote.

*The Amendment was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 5 stand part of the Bill".

*The Motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

*Clause 7—Prior approval of Central Government necessary for certain action by Society*

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move :

"Page 2, —

*omit* lines 46 to 49 (6)

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 2, line 46, —

*omit* "extend" (11)

Page 3, lines 1 to 3, —

*for* "acquired by the Society with money specifically provided

for such acquisition by the Central Government"

*substitute —*

"movable or immovable as at present and to be acquired in future" (12)

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** Many times, the hon. Education Minister has stated that they are not interfering in the affairs of this Society.

**SHRIMATI SHEILA KAUL :** I have never said it.

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** This Society was formed under the West Bengal Societies Registration Act. So, this comes under the State List. Therefore, the Central Government cannot interfere in its affairs. That is why, I have moved for deletion of that clause. Therefore, I say that you cannot interfere in the affairs of this Society. This is my amendment.

15.45 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

**SHRI SUDHIR GIRI :** Clause 7 of the Bill provides that

"The Society shall not, except with the previous approval of the Central Government, —

(a) alter, extend or abridge...."

I want the word 'extend' to be omitted because if the Society wants to extend its purposes then what is the harm in it? Let the Society extend its purposes and do something positive. So, I want to omit the word 'extend'. Again there is a provision in this Clause that the Society shall not "sell or otherwise dispose of any property acquired by the Society with money specifically provided for such acquisition by the Central Government". I want to amend it to the effect that the Society "shall not sell or otherwise dispose of any property movable or immovable as at present and to be acquired in future". So, not only the property to be acquired by the Society with money specifically provided for

such acquisition by the Central Government, but I want, that movable or immovable property should not be disposed of by the Society.

**SHRIMATI SHEILA KAUL :** I have already replied to this.

**MR. CHAIRMAN :** Mr. Daga, are you willing to withdraw your amendment?

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** I am not pressing Amendment No. 6 to Clause 7 of the Bill. I seek leave of the House to withdraw it.

**MR. CHAIRMAN :** Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn?

*The Amendment was, by leave, withdrawn.*

**MR. CHAIRMAN :** Now I put both the Amendments No. 11 and 12 of Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

*The Amendments were put and negatived.*

**MR. CHAIRMAN :** The question is :

"That Clause 7 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

**MR. CHAIRMAN :** Now we will go to Clause No. 8. Mr. Daga, are you moving your amendments?

*Clause 8—Planning Board*

**SHRI MOOL CHAND DAGA :** I beg to move :

Page 3, line 14, —

*after "members" insert "not exceeding four" (7)*

Page 3, line 19, —

*for "The term" substitute —*

*"The qualifications of the mem-*



bers and the Chairman the term" (8)

MR. CHAIRMAN : Mr. Giri, are you also moving ?

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 3, line 12,—

*after "establish" insert—*

"in consultation with the Society" (13)

Page 3,—

*after line 15, insert—*

"Provided that no person without special aptitude for the activities mentioned in section 4 shall be appointed on the Board." (14)

Page 3, line 22,—

*add at the end—*

"by the Central Government in consultation with the Society." (15)

SHRI MOOL CHAND DAGA : I am saying that the rules must provide for the qualifications of the Chairman and members. Otherwise, any person can be put as a member of the Planning Board, which is not proper. There must be some qualifications. If the Minister accepts this suggestion, well and good.

SHRI SUDHIR GIRI : I am suggesting by my amendments that the constitution of the Board and the appointment of members to the Board should be in consultation with the society itself. Otherwise, it will affect the autonomy of the Society.

SHRIMATI SHEILA KAUL : I have already replied to these points.

MR. CHAIRMAN : Are you pressing your amendments ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : I want to withdraw my amendments.

MR. CHAIRMAN : Has the hon.

Member the leave of the House to withdraw his amendments ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

*The amendments were by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : I will now put amendment Nos. 13, 14 and 15, moved by Shri Sudhir Giri, to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN ; The question is :

"That clause 8 stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

*Clause 9—Committees*

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 3, line 23,—

*after "Government" insert*

"in consultation with the Society". (16)

Page 3, *after line 33, insert*

"Provided that the Society shall be consulted by the relevant Committees for their work" (17)

Page 3, line 39,—

*add at the end—*

"and the Society" (18)

Page 4, line 4,—

*add at the end—*

"by the Central Government in consultation with the Society" (19)

MR. CHAIRMAN : I will now put

amendment Nos. 16 to 19, moved by Shri Sudhir Giri, to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 9 stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

*Clause 9 was added to the Bill.*

*Clause 10—Review of work done, inspection of assets etc.*

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 4, lines 34 and 35,—

for "action to the satisfaction of the Central Government"

substitute "any satisfactory action." (20)

MR. CHAIRMAN : I shall now put the amendment to vote.

*The Amendment was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 10 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 10 was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN : As there are no amendments, I shall put Clauses 11 to 14 together to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clauses 11 to 14 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 11 to 14 were added to the Bill.*

*Clause 15—Power to make rules*

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg

to move :

Page 6, line 26,—

(i) after "Every rule" insert—  
"and regulation"

(ii) after "Central Government"  
insert "or notification issued" (9)

In this connection I would like to draw your attention to Rule 3(1)(9). It says very clearly "each regulation, rule, sub-rule, bylaw framed in pursuance of the Constitution or the Legislative function delegated by Parliament to a subordinate authority is to be laid on the Table of the House." And then there are recommendations of Committees after Committees. The Seventh Report of the Committee on Subordinate Legislation of the Sixth Lok Sabha has also recommended that when a new statute is being framed, it should be laid on the Table of the House. When you say rules, you also add that regulations and notifications, which are framed under this act, should be laid on the Table of the House.

SHRIMATI SHEILA KAUL : It is not acceptable to us.

SHRI MOOL CHAND DAGA : If it is not acceptable, I may please be allowed leave to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn ?

*The Amendment was, by leave, withdrawn.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 15 stand part of the Bill."

*The Motion was adopted.*

*Clause 15 was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause I, — the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up items 9, 10, 11 and 12 together.

16.01 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPECT OF PUNJAB, PUNJAB BUDGET, 1984-85— GENERAL DISCUSSION,

\*DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (PUNJAB), 1984-85 AND

\*SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PUNJAB), 1983-84

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : I beg to move :

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 6th October, 1983 in respect of Punjab, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 6th April, 1984."

As the House is aware, the atmosphere of

public order in Punjab had seriously been vitiated on account of illegal activities of the extremist, terrorist and secessionist elements in the State. In spite of having an absolute majority in the Assembly, in the larger interest of the State and the country, Shri Darbara Singh, the then Chief Minister did not wish his Cabinet to continue in office and tendered the resignation of his cabinet of Ministers effective from 6.10.1983, recommending that the Governor may request the President to exercise his power under Article 356 of the Constitution and take over the administration of the State for a temporary period. He had also suggested suspension of the powers of the State Legislative Assembly. The Governor accordingly recommended to the President to exercise his powers under Article 356 of the Constitution and for keeping the State Legislative Assembly under suspended animation. Accordingly, Proclamation under Article 356 of the Constitution was issued by the President on 6.10.1983 bringing the State under President's rule and the State Assembly was kept under suspended animation.

Approval of the Lok Sabha as well as Rajya Sabha for the issue of Proclamation under Article 356 was obtained on 16.11.1983. The Proclamation so approved, will now cease to operate on 5.4.1984 at the expiration of the period of six months.

Government has made various efforts to find a solution to the demands of the Akali Dal through negotiations. The Hon'ble members are aware of these. The agitation launched by the Akali Dal and the extremist violence, however, continue. The law and order situation and the activities of extremist elements in the State have been causing serious concern. Soon after the proclamation of President's rule, various legislative and administrative measures were taken to curb violence and to maintain order. There were signs of gradual improvement in the situation but there has been a set back due to the sad events of February, 1984 and the recent spurt in the activities of extremist elements.